न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 34/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/41

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	भैरुलाल पुत्र श्री ओंकारलाल जोशी मैसर्स – श्री देव नारायण नमकीन भण्डार, पुराना बस स्टेण्ड, बॉसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, निय म 2011

निर्णय

दिनांक 27.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 07–06–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 02–03–2022 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स – श्री देव नारायण नमकीन भण्डार, पुराना बस स्टेण्ड, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **भैरुलाल पुत्र श्री ओंकारलाल जोशी** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **समोसा पाम तेल में बना 55 पीस** आम जनता विक्रय हेतु रखा होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **32 पीस समोसा पाम तेल में बना** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 320 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **समोसा पाम ऑयल में बना को चार साफ सुखे चौड मुह के जार में आठ–आठ पीस लेकर प्रत्येक जार में 40–40 बुंद फॉरमेलिन की डालकर जार के ढक्कन एयर टाईड बन्द किया एवं चारो नमुना भागो** को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउ[illegible] सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा [illegible] स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवा[illegible] को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:05 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/141–142 दिनांक 18–04–2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 373 दिनांक

30–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **समोसा पाम तेल मे बना** का नमुना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **समोसा पाम तेल मे बना** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09–06–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27.06.2022 को अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/141–142 दिनांक 18–04–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 373 दिनांक 30–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **समोसा पाम तेल मे बना** का नमुना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निरतारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड **समोसा पाम तेल में बना** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया [illegible] पुत्र श्री ओंकारलाल **जोशी मैसर्स – श्री देव नारायण नमकीन भण्डार, पुराना बस स्टेण्ड, बॉसवाडा को रूपये 15,000/– (अक्षरे रू पन्द्रह हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:05 IST
Reason: SelfAttested

0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800—अन्य प्राप्तियां, (03)—खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा—पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27—06—2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.10.06 10:06:05 IST
Reason: SelfAttested